उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या- 18 / 2015 / 637 ई-2 / तेरह-2015-01(एच0बी0ए0) / 2015

लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015

कार्यालय आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-11 के अधीन एतद्द्वारा श्री राम प्रताप यादव, सहायक समीक्षा अधिकारी आबकारी अनुभाग-2 को धारित पद के वेतनमान रू0 9300-34800 के सापेक्ष न्यूनतम मूलवेतन रू0 9,300 के आधार पर 34 माह के समतुल्य आगणित धनराशि रू0 3,16,200/- (रू0 तीन लाख सोलह हजार दो सौ मात्र) में से प्रथम किश्त रू0 3,10,000/- (रू0 तीन लाख दस हजार मात्र) भवन निर्माण अग्रिम के रूप में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

1- श्री राम प्रताप यादव की जन्म तिथि 30-03-1966 है और इनकी सेवानिवृत्त की तिथि 31-03-2026 है। ये स्थायी कर्मचारी है। इन्हें अनुमन्य धनराशि में से प्रथम किश्त रू0 3,10,000/- (रू0 तीन लाख दस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जा रही है शेष धनराशि रू0 6,200/- (रू0 छः हजार दो सौ मात्र) की द्वितीय किश्त के रूप में औपचारिकतायें पूर्ण कर धनराशि व्यय किये जाने सम्बन्धी वाउचर्स प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकृत की जायेगी।

2- उक्त धनराशि का 31-03-2015 के पूर्व आहरण निश्चित रूप से अवश्य कर लिया जायेगा। अन्यथा नयी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

3- यदि अग्रिम का कोई भाग बच जाता है तो उसे शासन को तुरन्त वापस करना होगा।

4- भूखण्ड या भवन क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम की धनराशि के आहरण के पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से यथास्थिति प्रपत्र- 22 ए अथवा 22 सी में एक अनुबन्ध पत्र भरा लिया जाना चाहिए परन्तु यदि कर्मचारी के पास पहले से भूखण्ड है जिस पर वह भवन निर्माण हेतु अग्रिम चाहता है अथवा पहले से भवन है जिसकी मरम्मत /विस्तार हेतु अग्रिम चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में सम्पत्ति को बन्धक कराने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की

shasanadesh.up.nic.in

जानी चाहिए। पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्ति (भूखण्ड) को बन्धक कराने के लिये प्रपत्र-22, स्वीकृत अग्रिम से क्रय किये गये पूर्ण स्वामित्व वाले भूखण्ड को बन्धक रखने हेतु प्रपत्र -22 बी तथा पट्टे वाली सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) को बन्धक कराने के लिये प्रपत्र- 23 का प्रयोग यथास्थित किया जाना चाहिए।

5- अग्रिम की मूलधन की वसूली अग्रिम के आहरण के अगले माह में मिलने वाले वेतन से प्रारम्भ होगी तथा स्वीकृत की जाने वाली अग्रिम की धनराशि की कटौती रू0 3,162/- की दर से 100 समान मासिक किश्तों में की जायेगी।

6- अग्रिमी को स्वीकृत किये जाने वाली पहली किश्त की धनराशि का संतोषजनक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7- प्रथम किश्त का उपयोग संतोषजनक प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रीशुदा बन्धक पत्र प्रस्तुत करने पर ही दूसरी किश्त की स्वीकृति देने पर विचार किया जायेगा।

8- स्वीकृत किये जाने वाले भवन निर्माण/क्रय अग्रिम पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी किन्तु ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 2.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अग्रिम स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित अग्रिमी से इस आशय का लिखित आश्वासन प्राप्त कर लिया जाय कि जो भी दरें अन्तिम रूप से निर्धारित होगी वे उन्हें मान्य होगी।

9- ब्याज की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुसार की जायेगी जिसकी प्रत्येक किश्त सामान्य मूलधन की मासिक किश्तों से अधिक न होगी। ब्याज की वसूली उसी माह के ठीक बाद के महीने से प्रारम्भ होगी जिसमें मूलधन की अन्तिम कटौती होगी।

10- यदि निर्धारित अवधि में भूखण्ड/भवन शासन के पक्ष में बन्धक नहीं रखा जाता है तो शासन को यह अधिकार होगा कि वह आहरित की गई धनराशि की वसूली एक मुश्त अथवा किश्तों की धनराशि बढ़ाकर ऋणी के वेतन से वसूली कर ले।

11- प्रश्नगत भूखण्ड/भवन के स्वामित्व में यदि किसी प्रकार की कमी/दोष पाया जायेगा तो शासन अपने विवेकानुसार सम्पूर्ण अग्रिम धनराशि को मय ब्याज के एक मुश्त में वसूल करने का आदेश दे सकता है।

shasanadesh.up.nic.in

12- अग्रिम की सेवानिवृत्त के पूर्व शासन द्वारा अपेक्षा किये जाने अथवा स्वयं अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने की दशा में अग्रिम की शेष मूल धनराशि तथा ब्याज शासन को एक मुश्त उनके सेवानिवृत्त के दिनांक से पहले देय हो जायेगी और शासन इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह इस देय धनराशि को जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले।

उक्त धनराशि के भुगतान की चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान-61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि आयोजनेत्तर- 201- भवन निर्माण अग्रिम- 04- भवन निर्माण या क्रय के लिये अग्रिम- 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या- **18 / 2015/ 637 (1) ई-2/तेरह-2015-01(एच0बी0ए0)/2015** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा प्रथम) इलाहाबाद।
2- अनुभाग अधिकारी (लेखा) परिवहन लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- सम्बन्धित सहायक समीक्षा अधिकारी।
6- सम्बन्धित पत्रावली।
7- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

भवदीय,
सुनील कुमार पाण्डेय
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in